

07.12.17

वकील वादी को प्रकरण में बार-बार आवज  
दिलाई गई है किन्तु न तो वादी एवं न ही  
वकील वादी उपस्थित आये। अतः वाद वादी-  
उद्दम हाजरी व उद्दम पेशी में स्थायित्व किया  
जाता है। पत्रावली के सलसुमार होकर नकर से  
कम हो एवं बाद तदुत्तरील जमा जिहा अभिलेखणा  
हो। (क)

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी